"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282-अ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 जुलाई 2013—आषाढ़ 12, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-7/2012/1-7.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-07-2012 द्वारा दिनांक 28-29 जून, 2012 की रात्रि को जिला बीजापुर के थाना बासागुड़ा के ग्राम सारकेगुड़ा और जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के सिलगेर एवं चिमली पेंटा में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ घटना की विशेष जांच हेतु गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग द्वारा तीन माह के भीतर राज्य शासन को जांच रिपोर्ट सौंपी जानी थी.

2. निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के फलस्वरूप विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-10-2012 एवं दिनांक 21-01-2013 द्वारा आयोग के कार्यकाल में क्रमशः तीन माह एवं छः माह की वृद्धि की गई थी.

3. चूंकि, जांच कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अतः राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में पुनः दिनांक 12-07-2013 से दिनांक 11-01-2014 तक छः माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.